राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2011–2012

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

E-mail : raj. rajyamahilaaaayog@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	3–13
अध्याय – 2	आयोग का कार्यक्षेत्र	14–17
अध्याय – 3	आयोग का वित्तीय स्वरूप	18–19
अध्याय – 4	वर्ष 2011–12 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	20–21
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	22–23
अध्याय – 6	राज्य महिला नीति का क्रियान्वयन एवं कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं भ्रमण कार्यक्रमों का विवरण	24–44
अध्याय – 7	प्रसंज्ञान एवं जांच	45–49
अध्याय–8	राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंषाए	50–51

अध्याय – 1 – संगठन व शक्तियाँ

I. राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

II. आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/मबावि/60456 दिनांक 19.11.2011 तथा एफ.1(295) रामआ/मअ/99 /6675 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार वर्तमान में आयोग की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद	पद ग्रहण करने की तिथि
प्रो. लाडकुमारी जैन	अध्यक्ष	24.11.2011
श्रीमती रूपा तिवाडी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया	सदस्य	24.02.2012

III. आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण (दिनांक 31.03.2012)

(अ) अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
निजी सचिव	1	–	1
वरिष्ठ निजी सहायक	1	–	1
कनिष्ठ लिपिक	1	1	–
निजी सहायक	1		1
योग :–	4	1	3

(ब) सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सदस्य सचिव	1	–	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	1	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	1	1
योग :–	4	2	2

(स) पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
रजिस्ट्रार	1	–	1
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	–	1
लेखाकार	1	1	–
वरिष्ठ लिपिक	2	1	1
कनिष्ठ लिपिक	7	7	–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	9	–
योग :–	21	18	3

(द) उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
उप–सचिव	1	1	–
आशुलिपिक (द्वितीय श्रेणी)	1	–	1
योग :–	2	1	1

इसके अतिरिक्त राज्य महिला आयोग में युनीसेफ द्वारा पोषित समन्वयक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक ने मार्च 2012 तक कार्य किया यद्यपि यूनीसेफ तथा यू.एन. (विमेन) को आगामी वर्ष हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया गया है, किन्तु दोनों संस्थाओं की ओर से किसी प्रकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

IV. आयोग की शक्तियाँ

राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार की महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं (10, 11, 12, 13) के अनुसार राज्य महिला आयोग को प्रदत्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है :–

10 हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियां

10(1) :– आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :–

10(1)(क) :– किसी भी साक्षी को सम्मन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना ।

10(1)(ख) :– किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना।

10(1)(ग) :– शपथ–पत्रों पर साक्ष्य लेना।

10(1)(घ) :–किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

10(1)(ड़) :– साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, सम्मन जारी करना।

10(2) :– आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थित में किया जााात है, तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिंता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।

10(3) :– आयोग के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

11. :– आयोग के कृत्य

(1) आयेाग निम्नलिखित सभी या किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना।

(ii) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यकों का या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवाद्यकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट तैयार करना।

(iii) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना :–

(क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताऐं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय।

(ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना।

(ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना।

(iv) (क) किसी भी कारगार, पुलिस थाने, हवालातों, उप–जेलो, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्धारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्धारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध किये गये

अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना।

(ख) ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा।

(v) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगेअ और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेग या लागू करवायेगा।

(vii) महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो।

(viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकडों का व्यापक अधिकोष संधारित करना, के समर्थन की कार्रवाइयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकडों को उपलब्ध करना।

(ix) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह–विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना।

(x) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्‌भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे कि उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके।

(xi) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना।

(xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करे वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना।

(xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(xiv) संवर्धन और शिक्षा संबधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कडी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना।

(xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(xvi) अन्य कोई मामला, जो उस सरकार, आम जनता, प्रेस द्धारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझें।

12. अनुचित व्यवहारों की जांच करना– (1) आयोग,–

(क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुऐ कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर।

(ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर।

(ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर।

किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

(2) जहां परिवाद उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।

(3) (i) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरू किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता हैं वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले मे कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां आयोग राज्य–सरकार को उस मामले में कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।

(4) राज्य सरकार, उप–धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

13. अभियोजन का प्रारंभ– यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध, अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

V. आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और ऐसे किसी भी मामले पर जो उसकी राय में इतना अत्यावशक था महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक आस्थगित नही किया जाना चाहिये, विशेष रिपोर्ट किसी भी समय प्रस्तुत की

सकेगा। धारा 14(2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को, आयेाग की सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्रवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों यदि कोइ हो के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधानमण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करवायेगी।

VI. राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

अध्याय 2 – आयोग के कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में (डाक द्वारा, फैक्स या ईमेल द्वारा) प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया हो, लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती है।

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करवाना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही को निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।
- कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन् 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद में दिए गए निर्णय एवं दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना, शिकायत समितियों के गठन, उनकी नियमित बैठक व कार्यवाहीयों पर निगरानी रखना तथा गम्भीर मामलों में घटना स्थल पर जाकर जांच करना।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आपसी बातचीत व समझाइश द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है।

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु सम्पादित की जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली अग्र प्रकार है।

2.1 जैण्डर प्रकोष्ठ :–

राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में यूनीसेफ के सहयोग से जैण्डर प्रकोष्ठ का संचालन किया जाता रहा है। इस इकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग द्वारा लैंगिक समानता, अधिकार के साथ सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर कार्य किये गये। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाओ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि कार्य प्रमुख है। यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है क्योंकि ऐसी उत्पीडित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर उन महिलाओं की स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला जनसुनवाई आयोजित करता है और यथा–सम्भव उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

2.2 जनसुनवाई

उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (प) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और

शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाईयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, यूनीसेफ राजस्थान, सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी रहती है।

जिला स्तर पर जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग के जयपुर स्थित कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस क्षेत्र की निर्धारित आयोजक संस्था (स्वयंसेवी संगठन अथवा जिला महिला विकास अभिकरण) द्वारा जनसुनवाई के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा जनसुनवाई वाले दिन पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये जाते हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणो की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के भी प्रयास किये जाते है। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

15 अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2011 तक अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण महिला जनसुनवाई का कार्य सम्पादित नहीं हो सका।

2.3 व्यक्तिगत सुनवाई

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनो पक्षकारों की सुनवाई व समझाईश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीडन, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी, घरेलू हिंसा व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाईश के माध्यम से समाधान किया जाता है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीडित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है।

2.4 आयोग को प्राप्त लिखित शिकायतों पर कार्यवाही :–

राज्य महिला आयोग में डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई ऐसी शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीडिता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।

अध्याय – 3 आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। आयोग में स्थापित जेण्डर प्रकोष्ठ के खर्चे हेतु यूनिसेफ द्वारा वत्तीय वर्ष 2011–12 में राशि उपलब्ध करवायी गई। वर्ष 2011–2012 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

राशि जहां से प्राप्त हुई	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि
राज्य सरकार से प्राप्त	82,71,000	76,74,455
यूनिसेफ से प्राप्त राशि का प्रारम्भिक शेष (1.04.2011 को)	5,48,000 1,94,567	6,07,627

Income & Expenditure Statement

for the Year 2011-2012

	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	4639038.05		
	(i) At Donation A/c 59971.98		1.Commission Expenditure	7674455.00
	(ii) NCW - 11,795.00		2.Unicef Expenditure	607627.00
	(iii)Unicef- 194567.00		3. NRHM	15764.00
	(iv) N.R.H.M. 289494.00			
	555827.98			
	(v) Commission :-			
	P.D.A/cNo.14-(Emp. fund) 1047079.00			
	P.D.A/c No.122 - 2212649.00			
	Cash at Bank 823281.07			
	Cash in Hand 201.00			
	4083210.07			
2.	**Receipt**			
	(i) State Government	8271000.00	3. **Closing Balance**	
	(ii) Unicef	548000.00		5250063.05
	(iii) NRHM	Nil	(i)Unicef 134940.00	
			(ii) NRHM 273730.00	
			(iii) NCW 11,795.00	
			420465.00	
			(v) Commission :-	
			P.D.A/cNo.14-(Emp.fund) 10,47,079.00	
			P.D.A/c No.122 - 2830768.00	
3.	Sale of Raddi	3176.00	Cash at Bank 889355.07	
			Cash in Hand 143.00	
			4767345.07	
4.	Bank interest on SB A/c	33595.00		
5.	Bank int. on Donation Bank A/c	2281.00	At Donation A/c 62252.98	
6.	Nakal Charges	3700.00		
7.	Int. on PD A/c	47119.00		
	Total	**1,35,47,909.05**	**Total**	**1,35,47,909.05**

अध्याय – 4 आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2011–12 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों के आकड़े निम्न प्रकार है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
2301	1157	1144

आयोग स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2012 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
16684	12126	4558

01.12.2011 से 31.03.2012 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन
818	162	656

अध्याय–5

आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों के उदाहरण

आयोग द्वारा वर्ष 2011–2012 में प्राप्त आवेदनों पर उभयपक्षों के बीच समझाईश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरणों के उदाहरण निम्नानुसार है :–

1. प्रार्थियां 'ए' की व्यथा यह थी कि उसके पति मकान मालिक के पुत्र के बहकावें में आकर उसे परेशान करते हैं। प्रार्थिया व उसके पति को आयोग कार्यालय में बुलाकर समझाइश की गई। समझाइश के बाद दोनों पक्षों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रही है।
2. प्रार्थियां 'बी' एक निजी क्लिनिक में काउंसलर के रूप में कार्यरत थी, जहां कार्यरत 'सी' नामक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह व्यक्ति उसे हैरान व परेशान करता है। संबधित दोनों पक्षों को आयोग में बुलाकर समझाइश की गई जिसके पश्चात उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थिया से क्षमा याचना करते हुये यह परिवचन दिया गया कि वह भविष्य में इस प्रकार का कोई व्यवहार, आचरण नहीं करेंगा, जिससे संतुष्ट होकर प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गई।
3. प्रार्थिनी 'डी' द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके 'ई' नामक व्यक्ति से पिछले 4 वर्ष से प्रेम संबंध रहे है लेकिन कुछ कारणों से अब वह व्यक्ति प्रार्थिया के परिवारजनों व सहेलियों को फोन कर आत्महत्या करने व कपट के प्रकरण में फसाने की धमकी दे रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रार्थिया से संबंधित कुछ फोटोग्राफ, सी.डी. व पैन ड्राईव हैं, वह उसे दिलवाये जाये। आयोग द्वारा किये गये प्रयास के पश्चात उस व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

4. प्रार्थिया 'एफ' द्वारा अपने पति 'जी' के विरूद्ध दहेज हेतु मारपीट व गाली–गलौच करने के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा उभयपक्षों को बुलाकर समझाइश की गई जिसके परिणामस्वरूप आज दोनों पति–पत्नी बिना किसी विवाद के साथ–साथ रह रहे है।

5. प्रार्थिया 'एच' अपने कार्य स्थल से संबंधित 'आई' व 'जे' द्वारा मौखिक टिप्पणियों के जरियें परेशान करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा उभय पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके पश्चात् से दोनों पक्षों के बीच का विवाद समाप्त हो गया है।

6. प्रार्थियां 'के' द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी इच्छा से 'एल' के साथ विवाह किया था। लेकिन उसके परिवारजन उसके इस व्यवहार से सहमत नहीं है और विवाह सम्बन्ध तोडने के लिए शारीरिक व मानसिक दबाव बना रहे हैं। आयोग द्वारा प्रार्थी व उसके परिवारजन के बीच समझाइश की गई। प्रार्थियां के पिता ने अपनी पुत्री के समस्त कागजात व कपडे सुपुर्द किऐ। अब प्रार्थियां अपनेपति के साथ शांतिपूर्वक रह रही है।

7. प्रार्थियां 'एम' द्वारा अपने पति 'एन' के विरूद्व शारीरिक व मानसिक प्रताडना दिऐ जाने की शिकायत की गई। आयोग द्वारा उभय पक्षों को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके पश्चात् दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

8. प्रार्थियां 'ओ' द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके एक पुत्र है लेकिन पति के अपने भाभी के साथ गलत सम्बन्ध हैं, जिसके कारण वह अपने पीहर में रह रही है। आयोग कार्यालय द्वारा प्रार्थियां व उसके पति को बुलाकर समझाइश की गई, जिसके बाद से उभय पक्ष शांतिपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अध्याय – 6 राज्य महिला नीति का क्रियान्वयन

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 08 मार्च, 2000 को राज्य महिला नीति की घोषणा की गई। राज्य महिला नीति की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है। पूर्व अध्यक्ष श्रीमती तारा भण्डारी का कार्यकाल समाप्त होने के लगभग पोने तीन साल अन्तराल पर प्रो. लाडकुमारी जैन की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई तथा 24 नवम्बर, 2011 को उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 06.01.2012 को महिला नीति की समीक्षा हेतु राज्य महिला आयोग द्वारा महिला संगठनों एवं सामाजिक कार्यक्रताओं व विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में वर्तमान राज्य महिला नीति की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया। राज्य महिला नीति की समीक्षा से संबंधित दस्तावेज, कार्यवाही व आंकडे एकत्रित कर नियमित रूप से आगे का कार्य करने हेतु एक कोर कमेटी का गठन किया गया। प्रो. आशा कोशिक को इसका कन्विनर बनाया गया है।

इस बैठक में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य महिला नीति के संबंध में की गई अब तक की कार्यवाही एवं आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करनी चाही। महिला अधिकारिता विभाग से यह जानकारी मंगवाई जा रही है।

यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों पर इस कोर कमेटी द्वारा बैठकें की जानी चाहिए। अलग–अलग संभागों मे इस तरह की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुये है।

दिनांक **08.02.2012** को पुनः आयोग कार्यालय में राज्य महिला नीति की समीक्षा हेतु स्वयं सेवी संगठनों के साथ विचार–विमर्श हेतु एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रो. आशा कौशिक की अध्यक्षता में 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संधारित महिला नीति संबंधी फाईलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनके द्वारा 22 विभागों से नोडल अधिकारियों की सूची एवं एक्शन प्लान 2008 में मंगवाए गये थे, जिसके उत्तर में 17 विभागों ने नोडल अधिकारियों की सूची तथा 10 विभागों ने अपने एक्शन प्लान भिजवाए थे। इनका संक्षिप्त ब्यौरा सदन को दिया गया।

यद्यपि महिला नीति एक आदर्श नीति है, किन्तु इसमें विभिन्न विभागों के लिए न तो समय सीमा रखी गई है, न ही इसके क्रियान्वयन हेतु कोई स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, जिसके कारण पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी तय नहीं की जा सकी है। उन्होंने महिला आयेाग से आग्रह किया कि वह अपने स्तर पर इस नीति का मूल्यांकन करने हेतु संभागीय एवं जिला स्तरों पर विचार–विमर्श करवाये ताकि समाज के Grass-root स्तर की महिलाएं भी इससे लाभान्वित हो सकें।

महिला नीति को बने हुए 12 साल हो चुके हैं, किन्तु इसकी प्रभावी समीक्षा अभी तक नही ही पाई है। उन्होंने नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग से जानना चाहा कि विभिन्न विभागों से अब तक कितनी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है ? आयोग के स्तर पर क्या कार्यवाही की गई तथा मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर कितनी समीक्षा बैठके हुईं ? इन बैठकों में किन–किन सदस्यों ने भाग लिया तथा इन बैठकों में स्वयं सेवी संगठनों का कितना प्रतिनिधित्व रहा ? उन्होंने सुझाव दिया कि महिला अधिकारिता विभाग इसके Structural Pattern को सुनिश्चित करते हुए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो अन्य विभागों से सम्पर्क कर सकें।

यह नीति किसी विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित नही करती, अतः राज्य एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग समितियों के बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य विभागों के एक्शन प्लान व वार्षिक प्रतिवेदन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मंगवा कर सम्पादित किये जाने चाहिये तथा उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट राजस्थान राज्य महिला आयेाग को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

विशेष फोकस ग्रुप के लिए चलाई जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति कामकाजी महिलाओं, विमन्दितों, सुरक्षा गृहों, महिला सुरक्षा केन्द्रों हेतु चलाए जा रहे Hostels के बारे में जानकारी मांगी। एक आदर्श महिला नीति होने के बावजूद विभागों द्वारा जैण्डर बजेटिंग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने नीति की प्रभावी मॉनिटरिंग की आवश्कता बताई। इसके लिए एकरूप मॉनिटरिंग फॉरमैट्स बनाये जाने की आवश्कता है।

यह बात भी उभर कर आयी कि नीति का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। Gender Budgeting एवं Telescoping के लम्बे'–चौड़े दावों के बावजूद बजेटिंग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी महिलाएं एक Homogenous श्रेणी में नही रखी जा सकतीं। सामान्य वर्ग की महिलाओं, किशोरियों, आदिवासी व अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप जैण्डर बजेटिंग की जानी चाहिए। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को व्यावसायिक हुनर सिखाए जाने चाहिए। Skill development की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केन्द्रों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर

महिलाओं का कौशल विकास, प्रशिक्षण, टीओटी आदि करवाई जानी चाहिए, ताकि महिलाएं अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनें। किन्तु इन सब योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अतः नीति के क्रियान्वयन हेतु धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

महिला अधिकारिता विभाग ने महिला नीति की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाई किन्तु कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने हेतु उनके विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये।

भारत विश्व में Global gender gap Index में 113वें स्थान पर है। वर्ष 2006 से भारत की स्थिति में निरन्तर गिरावट आ रही है, जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। राजस्थान में केवल 23 प्रतिशत महिलाएं निर्णय ले पाती है। केवल 7 प्रतिशत महिलाओं के बैंक खाते हैं। राजस्थान में 53 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। केवल 16 प्रतिशत महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं। यद्यपि राज्य महिला नीति एक आदर्श दस्तावेज है, किन्तु इसे व्यवहार संगत बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया गया तथा इन लक्ष्यों की आपूर्ति हेतु इस समिति द्वारा एक दिशा देने का आग्रह किया। इसके लिए यह सुझाव आया कि हमें चार क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य करना चाहिये।

1. शिक्षा
2. आर्थिक सशक्तिकरण
3. राजनैतिक एवं सामाजिक सशक्तीकण
4. प्रजनन स्वास्थ्य

अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु अल्पसंख्यकों तथा दलितों को विशेष फोकस ग्रुप में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

इस बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति उभर कर आयी।

- जैण्डर बजेटिंग कितनी व कहां–कहा हुई, इसकी जानकारी महिला अधिकारिता विभाग देगा।
- महिला नीति के क्रियान्वयन में एन.जी.ओ का कितना प्रतिनिधित्व रहा।
- महिला अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त संबंधित विाागों से रिपोर्टस संकलित करके महिला आयेाग को दी जायेंगी।
- जैण्डर परिप्रेक्ष्य के साथ वर्तमान ढ़ांचे का डाटा बेस तैयार करवाने की जिम्मेदारी महिला अधिकारिता विभाग की होगी।
- जैण्डर सैगरीगेटेड डाटा का संकलन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।
- एक स्वतंत्र महिला रिसोर्स सेन्टर की स्थापना हेतु सरकार से आग्रह महिला आयेाग द्वारा किया जायेगा ताकि महिला नीति की समीक्षा, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं शोध कार्य हो सकें।

- प्रोग्राम स्पेस्फिक फन्डिंग हेतु राज्य सरकार को लिखा जायेगा।
- 2004 में महिला नीति के संबंध में महिला आयोग द्वारा भेजी गई अभिशंसा का अवलोकन
- पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता के आंकडों का संकलन महिला अधिकरिता विभाग द्वारा किया जायेगा।
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के आंकडों का संकलन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का संकलन
- शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनैतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों पर concept Notes तैयार करवाना।
- महिलाओं के Survival , उनके विरूद्ध हिंसा, तथा विशेष फ़ोकस ग्रुप की महिलाओं यथा अल्पसंख्यक एवं दलितों को प्राथमिकता देना।
- माननीया अध्यक्ष महोदया द्वारा सुझाई गई Symbiotic Policy MTP, PCPNDT & Population Policy ij Concept Notes तैयार करवाना।
- एक पंचवर्षीय Vision 2017 योजना का निर्माण जिसका Mid term Appraisal 2014–15 में किया जावे।

कार्यशाला, सेमीनार, सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम
(दिसम्बर 2011 से मार्च 2012)

महिला उत्पीड़न के बढ़ते हुये आकड़े इस बात का द्योतक है कि इन्हें रोकने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुऐ आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, योजना आयोग, नई दिल्ली की सदस्या, योजना बोर्ड राजस्थान, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, बुद्धिजीवियों एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशालाऐं/सेमीनार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1. 21 दिसम्बर, 2011 को महिला संगठनों के साथ महिला मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन आयोग के सभागार कक्ष में किया गया।

माननीय अध्यक्षा महोदया, प्रो. लाडकुमारी जैन के आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद आयोग द्वारा पहली राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के अधिकांश जिलों से लगभग 56 महिला स्वयं सेवी संगठनों की प्रतिनिधियों तथा शिक्षाविद्ों ने भाग लिया। प्रो. जैन ने अपने प्रथम उद्बोधन में राजस्थान में महिलाओं की सोचनीय अवस्था पर चिन्ता जताते हुए सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि सभी आयोग के साथ मिल कर कार्य करें ताकि महिलाओं से संबंधित सूचकों (Indicators) में आवश्यक सुधार लाया जा सके। उन्होंने इस कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी आगामी रणनीति सुनिश्चित करने से पहले सभी स्वयं सेवी संगठनों, जो अपने 2 क्षेत्र में कार्य करते हुए वास्तविक समस्याओं से अवगत हैं, से चर्चा कर सभी समस्याओं/मुद्दों को चिन्हित करना चाहता है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर महिला सशक्तिकरण की दिशा तय की जा सके। प्रदेश के दक्षिणी जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपूर, राजसमन्द, प्रतापगढ, भीलवाडा, उदयपुर आदि जिलों में डायन के बढते हुये प्रकरणों/मामलों की घटनाओं को देखते हुये डायन कुप्रथा के निवारण हेतु आयोग द्वारा पूर्व में बनाये गये ड्राफ्ट बिल पर भी विचार–विमर्श की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया तथा नाता एवं कुकड़ी कुप्रथाओं के निवारण हेतु उपाय तलाशने की ज़रूरत बताई।

राज्य के बिजौलियॉ, सलावटीया, कांकरोली, मकराना, आंधी, धोलपुर, करौली, राजसमन्द, ऋषभदेव व अलवर आदि क्षेत्रों में खनन के कार्य में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं पर भी उन्होंने गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता बताई।

कार्यशाला में प्रतिभागियों ने स्थानीय/क्षेत्रीय समस्याओं को चिन्हित किया जो निम्नानुसार हैः–

I. अपराधिक प्रवृति के मामलों से संबंधित मुद्दे :–

- बालिका/महिलाओं की सैक्स ट्रैफिकिंग
- अवैध संबंध
- दहेज हिंसा/हत्या
- घरेलू हिंसा
- डायन कुप्रथा
- मादक पदाथों का सेवन
- लिंग भेद
- प्रतिष्ठा एवं सम्मान के नाम पर महिलाओं की हत्या (Honour Killings)
- बहुविवाह
- बाल विवाह
- महिलाओं के साथ छेड़खानी
- पारो कुप्रथा (बाड़मेर जिले में)
- लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण

II. सरकारी नीतियों व योजनाओं से संबंधित मुद्दे :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु नवीन योजनाओं का निर्माण।
- जिला एवं राज्य स्तरीय हैल्प लाइन्स की स्थापना एवं हैल्पलाइन नंबरों का बसों पर अंकन।
- जयपुर शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु प्रयास।
- अध्यापिका विहीन स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति।
- सुविधाओं रहित स्कूलों (Toiletteless) में सुविधाएं प्रदान करना।
- स्कूल जाने वाली बालिकाओं की सुरक्षा।
- वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन योजनाओं की शर्तो को हटाना।
- क्रेच (शिशु पालना गृह) की स्थापना।
- पुलिस थानों पर स्थापित महिला डेस्को में मूलभूत सुविधाऐं प्रदान करना।
- जैण्डर बजेटिंग का मूल्यांकन।
- सरकारी योजनाओं की पूर्ण क्रियान्विति।
- अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित समिति में महिलाओं की भागीदारी का ना होना
- राज्य आयोजना बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी की ना होना

- कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल सुविधा
- राज्य महिला आयोग के बजट में वृद्धि
- राज्य महिला आयोग द्वारा उठाये गये मुद्दों पर श्वेत पत्र
- राज्य महिला नीति की समीक्षा
- महिला आयोग के नोडल एवं अन्य विभागों से संबंध
- विकलांग महिलाओं के लिए योजनाएं
- सरकारी विभागों में कार्यरत पीड़ित महिलाओं की स्थानान्तरण नीति
- असंगठित महिला श्रमिकों की समस्या
- PCPNDT कानून के तहत सलाहकार समितियों का पुनर्गठन एवं इन समितियों में संवेदनशील महिलाओं को नामजद करना।
- फुटपाथ पर रहने वाली भिखारी महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवाना।
- महिला आयेाग में फैमिली कोर्ट में आने वाली महिलाओं हेतु हैल्प डैस्क की स्थापना
- ऋण सुविधाओं एवं आवेदनों का सरलीकरण
- महिला थानों का प्रभार महिला अधिकारियों को दिया जाना।

III. विकास

- एकल (Singal) महिलाओं की समस्याएं
- बीड़ी श्रमिक महिलाओं की समस्याएं
- खेतिहर श्रमिक महिलाओं की समस्याएं
- महिला आयोग द्वारा अभिशांसित योजनाओं/कानूनों का क्रियान्वयन
- आंगनवाड़ी केन्द्रों का विकास/सुदृढीकरण
- राज्य महिला संदर्भ केन्द्र की स्थापना
- युवा विकास केन्द्रों का सुदृढीकरण
- महिला आयोग के रिकॉर्ड रूम का विकास

IV. सामाजिक/कानूनी जागृति (Socio/Legal Awareness)

- सरकारी योजनाओं की जानकारी
- स्वास्थ्य/सफाई संबंधी ज्ञान
- महिला से संबंधित कानूनों की जानकारी
- शिक्षा के महत्व की जानकारी
- परिवार सलाह केन्द्रों की जानकारी
- विवाह पूर्व काऊन्सिलिंग
- महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकार
- नाता एवं कुकड़ी कुप्रथाएं रोकने हेतु प्रयास
- सामूहिक विवाहों में आयु सत्यापन
- विशाखा गाइड लाईन्स की जानकारी
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार विधेयक में घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को भी सम्मिलित करवाना।
- पुरूषों को जैण्डर शिक्षा
- जाति पंचायतों के अधिकार
- जाति/खाप पंचायतें

इस कार्यशाला में हुये वैचारिक मंथन के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य करने की सहमति बनी :–

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का पुरजोर तरीके से क्रियान्वयन व निगरानी ।
- कार्य स्थल पर यौन शौषण की रोकथाम हेतु विशाखा गाइड लाइन के अन्तर्गत बनी शिकायत समितियों एवं उनके कार्यो का आंकलन व निगरानी समितियों का गठन।
- लैंगिक जांच व कन्याभ्रूण हत्या के विरूद्ध अभियान चलाना।
- पंचायती राज महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से जागरूक बनाना
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के केसेज़ का महिला पंचायतों द्वारा निस्तारण
- आर्थिक सशक्तिकरण
- महिला संगठनों के माध्यम से निगरानी एवं जागरूकता अभियान
- महिला को 'स्व' के प्रति जागरूक बनाना
- सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार

- शिक्षा का प्रचार–प्रसार
- देहव्यापार एवं महिलाओं की खरीद फरोख्त को रोकना
- जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन
- सामुदायिक गतिशीलता (Community Mobilization)
- ग्रामीण महिलाओं की दशा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
- जिला स्तर पर महिला अदालतों का गठन
- समस्त संघर्षो को संस्थागत बनाना
- महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना
- सरकारी योजनाओं के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना
- महिला मुद्दों के प्रति जन आन्दोलन
- प्राईवेट हॉस्टलस, ब्यूटी पार्लरों एवं कोचिग सेन्टर का रजिस्ट्रेशन

2. 24 जनवरी, 2012 को श्रीमती हमीदा सईद, माननीय सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली की माननीय सदस्या के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन आयोग कार्यालय में एक बैठक का आयोजन :–

उक्त बैठक में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने भी भाग लिया। माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा महिला कल्याणकारी योजनाओं एवं महिला सशक्तिकरण हेतु श्रीमती सईद को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि योजना आयोग से संबंधित सभी Macro Issues पर योजना आयोग द्वारा अगली पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा। Macro Issues हेतु उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध करने का सुझाव दिया।

3. 25 जनवरी, 2012 को प्लानिंग बोर्ड, राजस्थान सरकार के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन :–

दिनांक 25.01.2012 को प्रातः 10.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदया ने राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष श्री विजय शंकर व्यास से एक बैठक में चर्चा की जिसमें महिला हैल्पलाइन, घरेलू हिंसा के मुकदमों में महिलाओं की सहायता हेतु Protection officers की कर्म, अल्पावास गृहों, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, वृद्धाश्रम व विकलांग बच्चों के गृहों की कमी बताई। उन्होंने महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, महिला थानों एवं हैल्प डैस्क्स के सुद्दृढ़ीकरण हेतु अनुरोध किया। राज्य महिला कर्मचारियों को आवास सुविधाए, घुमन्तु महिलाओं के लिए आवास योजनाए, विधवाओं की पेंशन योजना की पुर्नसमीक्षा, एकल महिला को सामाजिक सुरक्षा, उच्च सामाजिक

अध्ययन संस्थान, मिड डे मील की गुणवता, कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, महिला शिक्षकों की कमी आदि मुद्दे इस बैठक में उभरे।

प्रो. व्यास ने इन सभी मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

4. 27 जनवरी, 2012 को पुलिस थानों में स्थापित महिला डेस्क मूंल्याकन हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

आयोग द्वारा दिनांक 25.01.2012 को आयोग कार्यालय के समिति कक्ष में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में राजस्थान के पुलिस थानों में पीडित महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए स्थापित महिला डेस्क के मूंल्याकन एवं कार्यपद्धति पर पुलिस अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने हेतु महिलाथाने एवं महिला डेस्क की आवश्यकता महसूस की गई। महिला डेस्क एवं महिला थाने की स्थापना महिला आंदोलन के इतिहास से जुडी हुई है। महिलाओं को थाने में जाने से डर लगता है अतः महिला थानों व महिला डेस्कों की स्थापना की गई। 08.03.1989 जयपुर में गांधीनगर में पहला महिला थाना खुला।

अध्यक्ष महोदया जी ने बताया कि स्वंय थानों पर महिला डेस्क का निरीक्षण करने जाती है तब पाया कि साधारणतया पीड़ित महिलायें अपनी शिकायत दर्ज करवाने एवं समस्या के समाधान हेतु थानों में जाने से झिझकती है। थानों का वातावरण महिलाओं के अनुकुल प्रतीत नहीं होता है। इस समस्या के समाधान के लिए तथा पीड़ित महिलाओं को राहत दिलवाने हेतु पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। महिला डेस्क का उद्देश्य अच्छा था। महिला डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी पदस्थापित होने से पीडित महिला तथा पुलिसकर्मी में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है। महिला डेस्क के सुसंचालन हेतु समय–समय पर स्वयं सेवी संगठनों के साथ निरन्तर विचार–विमर्श जारी रखना चाहिये । पीडित महिलायें हिम्मत करके थाने मे जाती है तो महिला डेस्क की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। महिला को न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाकर स्वयं सेवी संगठनों से संवाद स्थापित करना चाहियें।

फिर अन्य 12 स्थानों पर अन्य महिला थाने खुले। थानों की कार्यप्रणाली नहीं बदली है। वर्ष 2003 से महिला थाना या महिला डेस्क खोलना प्रारम्भ किये गये किन्तु महिला डेस्क के कार्य को थानेदार अनावश्यक कार्य समझते है। समय के साथ–साथ महिला डेस्क के उद्देश्य भी गौण होते जा रहे है।

श्रीमती रेणुका पामेचा ने लॉ के विद्यार्थियों द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट प्रस्तुत की इन विद्यार्थियों ने जयपुर जिले के पूर्व के 12 थानों, पश्चिम के 07 थानों, उत्तर के 13 थानों तथा दक्षिण के 10 थानों का अध्ययन किया। इन पर थानों की अध्ययन रिपोट्ट में महिला डेस्कों की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्नचिन्ह

लगाया गया। 24 थानों के प्रभारी पुरूष है। 10 थानों में महिला डेस्क हेतु कोई पृथक कमरा तक नहीं था। 24 थाना प्रभारियों को Stay Homes के बारे में पता नहीं था। 29 थानों को राजस्थान राज्य महिला आयोग एवं मानवाधिकार आयोग की जानकारी नहीं थी। 26 थानों को महिला सलाह एंव सुरक्षा केन्द्रों की जानकारी नहीं थी। तथा 32 थानाधिकारियों को माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा पारित विशाखा गाईड लाईन्स की जानकारी नहीं थी। श्रीमती पामेचा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उक्त जानकारी के अभाव में ये थाने पीड़ित महिलाओं को किस तरह न्याय दिलवाते है ?

उन्होंने सुझाव दिया कि पीड़ित महिलाओं को महिला थानों में महिला पुलिसकर्मी द्वारा सुनकर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुनवाई संवेदनशीलता से होनी चाहियें।

श्री अशोक राठौड, महानिरीक्षक पुलिस, अपराध शाखा, जयपुर ने ने कहा कि थानों में स्थापित महिला डेस्क की कार्यप्रणाली में सुधार करने की गुन्जाईश है वर्ष 2003–04 में यह कन्सेप्ट प्रारम्भ हुआ था प्रक्रिया को पूरी तरह से आत्मसात करने में समय लगता है। महिलाओं के प्रति पुलिस कर्मियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिये यदि पुलिस अधीक्षक रूचि लेंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा इस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम टेक–अप किये जायेंगे। थानों में महिला पुलिसकर्मी तैनात किये जायेंगे। 11वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी पदस्थापित किये जाने हेतु पुलिस विभाग को आवश्यक फण्ड मिला है। जहा पर टॉयलेट तथा रेस्टरूम नहीं है, वहां बनवायें जायेंगे।

श्री शरत कविराज, डी.सी.पी., (पश्चिम), जयपुर ने कहा कि महिला डेस्क के क्रियाकलाप के सुधार के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है इससे पुलिसकर्मियों को जानकारी प्राप्त होती है। सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहिये। पावर प्रेजेन्टेशन के जरिये पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पीडित महिलाओं के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने का प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को दिया जायेगा।

<u>विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये :–</u>

पीडित महिलाओं को महिला डेस्क के माध्यम से राहत दिलवाने से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग नहीं हो पा रहा है इस हेतु प्रशिक्षण सामग्री सभी थानों में रखवानी चाहियें। थानों में सभी संबंधित सूचनाऐं, कानून, धाराऐं आदि के बारे में जानकारी डिस्प्ले होनी चाहिये। महिला पुलिस कर्मियों के लिए थानों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहियें।

महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र जयपुर के बाहर Nodal Point हो सकते है। महिला डेस्क को प्रशिक्षण देने के लिए 3–4 घण्टे का प्रशिक्षण सेशन किया जा सकता है। यह एक रिकरन्ट सिस्टम होगा। राज्य महिला आयोग द्वारा स्टैण्डर्ड डिजाईन तैयार करवाया जा सकता है।

सुश्री कविता श्रीवास्तव का कहना था कि सरकार हर जिले पर एक Child Desk बनाने की भी योजना बना रही है। यह संभावना है कि महिला डेस्कों को ही इसका प्रभार भी सौंपा जा सकता है, अतः समूची योजना की पुर्नसमीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्र प्रभारियों को अपने ज्ञान में संवर्द्धन करना हेागा तथा सूचना तंत्र को प्रभावी बनाना होगा। पीड़ित महिलाओं को Cafeteria Approach की तरह 8–10 विकल्पों/Linkage Services का मेनू देना होगा, ताकि वे अपनी सुविधानुसार विकल्प चुन सकें।

जयपुर पूर्वी थानों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने इनके संयुक्त निरीक्षण का सुझाव दिया। सामाजिक व पंजीकृत Audit से ही स्थिति में सुधार संभव है।

महिला डेस्क में आने वाली पीडित महिलाओं का रिकॉर्ड या एन्ट्री की जानी चाहियें महिला डेस्क में पूरी सूचना, जानकारी, टेलिफोन नम्बर आदि की सूचनाऐं उपलब्ध होनी चाहिये।

अन्त में श्री बी.एल. सोनी ने स्वीकार किया कि जिस उत्साह एवं संवेदनशीलता के साथ थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई थी, उसके अनुरूप वह कार्य नहीं कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य से प्रतीत होता है कि इसकी कार्यशैली में शिथिलता आई है। तथा ये एक रूटिन प्रौसेस में पड गई है। पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि माननीय अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग ने पुलिस विभाग की सब से Light चीज को सब से पहले Hit किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिला डेस्क को अच्छा और सशक्त बनाऐंगे।

महिला डेस्क को सशक्त बनाने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय ने तीन स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।

1. सुपवाईजरी ऑफिसर का प्रशिक्षण
2. थानाधिकारियों का प्रशिक्षण
3. महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र का प्रशिक्षण

महिला डेस्क को और अधिक अच्छा बनाने के लिए जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोग स्तर पर आयोजित करने पर भी अपने विचार व्यक्त किये। पुलिस आयुक्त महोदय ने नये थानों में महिला डेस्क स्थापित करने जहां टॉयलेट, रेस्टरूम आदि नहीं है वहा बनवाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु आश्वस्त किया। पुलिस आयुक्त महोदय ने सभी महिला डेस्क पर निर्धारित प्रोफार्मा में रजिस्टर संधारित करवाने हेतु मीटिंग में उपस्थित अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया।

5. 2 फरवरी, 2012 को सुप्रसिद्ध महिलावादी लेखिका श्रीमती कमला भसीन के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन

दिनांक 02.02.2012 को महिला आयोग के सभागार में सुप्रसिद्ध महिलावादी लेखिका श्रीमती कमला भसीन से जयपुर के विभिन्न संगठनों का संवाद हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अस्तित्व के प्रति जागरूक करना था।

श्रीमती भसीन ने 1972 में उदयपुर के सेवा मन्दिर नामक संगठन के साथ 4 वर्ष तक कार्य करते हुए अनुभव किया कि मनुष्य स्वार्थी तो होता ही है, किन्तु यदि वह परमार्थी भी हो तो उसका जीवन सार्थक हो सकता है।

दक्षिण एशिया में एफ.ए.ओ. (Food – Agriculture Organization) के साथ कार्य करते हुए उन्होंने जैण्डर प्रशिक्षण का कार्य भी किया।

श्रीमती भसीन की मान्यता है कि अरबों डॉलर युद्ध, सेनाओं व उनके रखरखाव पर खर्च किये जाते हैं, जिससे आम आदमी को किसी प्रकार का कोई लाभ नही होता है।

भारतीय महिलाएं इस पितृसत्तात्मक समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीरियों यथा डायन–प्रथा, सती–प्रथा, कौमार्य–परीक्षण आदि से त्रस्त हैं। अपनी पहचान खोजने पर उन्हें पुरूषों की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। घरेलू हिंसा का कारण उन्होंने राजनैतिक अर्थव्यवस्था बताया। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि समूचे विश्व में लगभग 1000 लाख महिलाएं गायब हो जाती हैं जिसमें से 35 लाख महिलाएं भारत में मार दी जाती हैं। 1911 की जनगणना में महिला–पुरूष लिंगानुपात 1000 : 975 था, जा घट कर 1951 में 1000 : 950 रह गया। 2011 की जनगणना में यह अनुपात घट कर 1000 : 934 हो गया है इस घटते लिंगानुपात पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए श्रीमती भसीन ने कहा कि आदिवासी इलाकों में यह अनुपात सबसे संतोषजनक है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था महिलाओं पर निर्भर है, जबकि सम्पन्न एवं समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली में यह अनुपात काफी कम है। घटते लिंगानुपात का कारण उन्होंने बढ़ती हुई सम्पन्नता को बताया। विकास सामाजिक मूल्यों को कुप्रभावित कर रहा है। पूंजीवादी, नई उदारवादी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने उपभोक्तावाद को लालच की जननी बताया, जिसके कारण हिंसक प्रवृतियों में

लगातार वृद्धि हो रही है। वैश्वीकरण के इस दौर में दो Ps (People Vs Profit) के बीच एक ऐसा संघर्ष प्रारम्भ हो चुका है, जो समाज में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों एवं पिछडे वर्ग को पीछे धकेल रहा है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने अश्लीलता के एक नये युग की शुरूआत की है, जिसमें महिलाऐं उपभोग की वस्तु बन कर रह गई हैं। उनका अश्लील प्रदर्शन किया जा रहा है।

पूंजीवादी देश TINA (There is no altermatine) Symdrome से ग्रस्त हैं तथा समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जबकि सत्य यह है कि राजनैतिक अर्थव्यवस्था समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है।

पुरूषों को सम्बोधित करते हुऐ उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मकता से उन्हें लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं। हिंसा की शिकार महिलाएं उनकी माताएं, बहने, बेटियां अथवा पत्नियां भी हो सकती है। महिला एवं पुरूष के बीच स्वामी–दास का रिश्ता होने के कारण उनके व्यवहार में दंभ, क्रूरता एवं तानाशाही प्रविष्ट होते है, जिससे परिवारों में क्लेश, वैमनस्य एवं परिवार की शान्ति भंग होती है।

''कन्यादान'' एवं ''पति'' शब्दों को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने महिला संगठनों से आहवान किया कि इनके प्रति आदोलन चलाऐ जाने चाहिये। पितृसत्ता पुरूषों को अपराधी, शराबी, जुंआरी, बलात्कारी एंव हिंसक बनाती है तथा उनके भीतर के प्राकृतिक स्त्रीत्व को नष्ट करती है, जिससे वे अपने परिवार के प्रति संवेदनशीलता खो बैठते हैं, तथा अपनी क्रूरता एवं स्वार्थ के कारण परिवार से मिलने वाले आदर को भी खो देते है, पौरूष की भावना के कारण ही विश्व में युद्ध, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ, घरेलू हिंसा, प्रकृति का दोहन, वैश्वीकरण, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद एवं ''बुशफुल थिंकिग'' का प्रादुर्भाव हुआ है। महिलाएं भी सत्ता प्राप्त होने पर पुरूषों की तरह व्यवहार करना प्रारम्भ कर देती है, जो उनके नैसगिक स्त्रीत्व को नष्ट करता है। पुरूषों तथा महिलाओं में Masculinity o Femininity प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण है, किन्तु Masculinity के हावी होने से हिंसा बढ़ती है।

श्रीमती भसीन ने अंत में कहा कि पुरूषों को इन सब बुराईयों से मुक्त करने के लिए महिला संगठनों को 'पुरूषवाद' पर काम करना होगा, जिससे एक हिंसा मुक्त समाज बन सके।

डॉ. रेणुका पामेचा ने महिला आयोग से आग्रह किया कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए श्रीमती कमला भसीन के व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रारम्भ की जाए, जिससे छात्र लाभविन्त हो सके। महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती दुर्गा जोशी ने कहा कि केवल स्कूल कॉलेजों में ही नही अपितु इन व्याख्यानों को ऑफिसों/ओ.टी. एस. आदि में भी करवाया जाना चाहियें ताकि जैण्डर के प्रति समझ बन सके।

डॉ. नीलम रायसिंघानी ने श्रीमती भसीन से आग्रह किया कि वह 'संगत' (SANGAT) के प्रिय स्लोगन ''I am not a wall that divides, I am a crack in that wall '' की व्याख्या करें।

डॉ. भसीन ने उक्त दोनों आग्रहों के उत्तर में कहा कि हमें ''Declaraction of Independence'' से ''Declaration of Interdependence'' की ओर बढ़ते हुए Pluralism के सिद्धान्त को अपनाना होगा। हर व्यक्ति अपने विकास के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। व्यक्तिवादी सोच की अपेक्षा संस्थावादी सोच से सभी संगठन मिल कर एक आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। 'Private' शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि यह लैटिन शब्द प्रिवारे से बना है, जिसका अर्थ होता है Prevent या रोकना। अतः समाज–कल्याण में लगी सभी संस्थाओं का इस प्राईवेटिज़्म की भावना से उपर उठकर दीवारों को गिराना होगा तभी सेतु बनेंगे।
''दीवारों से ही दर बनते है।''

अंत में प्रो. लाडकुमारी जैन ने डॉ. कमला भसीन का आभार व्यक्त करते हुये समस्त महिला संगठनों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने बहुत कम समय के नोटिस में अपनी भागीदारी से कार्यक्रम को सफ़ल बनाया।

6. 23 फरवरी, 2012 को कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न रोकने हेतु बैठक का आयोजन

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग के कक्ष में ''कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न रोकने'' के प्रयासों के संबंध में विभिन्न महिला स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ एक बैठक का आयोजन दिनांक 23.02.2012 को किया गया।

उपस्थित स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वयं के विभिन विभागों में कार्यरत् यौन–उत्पीडन कमेटियों में होने के बार में बतलाया। साथ ही अपना लिखित प्रतिवेदन भी माननीय अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग को प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान कुछ सुझाव प्राप्त हुऐ, जो इस प्रकार है।

1. होली के समय महिला कार्मिकों के प्रति गलत सामग्री सहकर्मी पुरूष दराजों में रखते हैं, टाइटल देते हैं, वह बंद होना चाहिए। इसी प्रकार की भाषा लिफ्ट में लिखी जाती है, वह बंद होनी चाहिए।
2. समस्त विभागों में स्टॉफ रूम की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. पुलिस लाइन में महिला पुलिस कार्मिकों की मीटिंग रखी जानी चाहिए ताकि वे अपनी परिवेदना बता सकें।
4. यौन–उत्पीड़न कमेटी को प्रो–एक्टिव होना चाहिए।

5. इन कमेटियों की मीटिंग प्रत्येक माह होनी चाहिए।
6. स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर अनिवार्य विषयों में यौन–उत्पीडन पाठ्य सामग्री शामिल करनी चाहिए।
7. यौन–उत्पीडन मामलों में विश्वविद्यालय में अलग–अलग (अनुशासनात्मक व विशखा गाईड लाईन के अन्तर्गत शिकायत समिति) कमेटी नहीं बनाई जानी चाहिये।
8. कमेटी जहां घटना होती है वहां नहीं जाती है। जिसके कारण एक्शन नहीं होता है।
9. निजी मेडिकल कॉलेज में भी यौन–उत्पीडन की रोकथाम हेतु कमेटी होनी चाहिए।
10. असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कार्मिकों के यौन–उत्पीडन की रोकथाम हेतु कमेटी का गठन होना चाहिये।
11. माननीय न्यायालयों/विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा में भी यौन उत्पीडन रोकथाम कमेटियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये व मोनेटरिंग होनी चाहिए।

निम्निलिखित स्वयं सेवी संगठनों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों की मॉनिटरिंग का कार्य सौपा गया।

डॉ. मालती गुप्ता–रूवा	–	मेडिकल एण्ड हैल्थ, मेडिकल शिक्षा
कविता श्रीवास्तव–पी.यू.सी.एल.	–	शासन सचिवालय,
रेणुका पामेचा–MSSK	–	शिक्षा, तकनीकी शिक्षा
निशा सिद्धू–MSSK	–	पुलिस विभाग, मा0 न्यायालय

कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन–उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देशों की पालना रिपोर्ट ये संगठन महिला आयोग को सौपेंगे।

7. 13 मार्च, 2012 को राजस्थान में महिलाओ की वर्तमान स्थिति तथा उनके सशक्तिकरण हेतु रणनीति बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वयं सेवी संगठनो के साथ विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया।

8. 16 मार्च, 2012 को प्रयास, स्वयं सेवी संगठन, मुम्बई के साथ महिला केदियो के पुर्नवास तथा उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन हुआ।

9. 27 मार्च, 2012 को जाति पंचायतो द्वारा विवाह आयोजन में गैरकानूनी तरीके से हस्तक्षेप को रोकने हेतु बिल का प्रारूप तैयार करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, राज्य महिला आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमो में की गई सहभागिता का विवरण

1. **05 दिसम्बर, 2011** को राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को सशक्त करने बाबत श्री शिवचरण माथुर सोशियल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूशन, जयपुर द्वारा आयोजित कार्यशाला में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा समापन समारोह में कार्यशाला को सम्बोधित किया गया।
2. **10 दिसम्बर, 2011** को ''परवाज'', जयपुर (एन.जी.ओ) द्वारा संषर्घशील महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह की अध्यक्षता डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा की गई।
3. **11 दिसम्बर, 2011** को जैन सोशल ग्रुप सेन्ट्रल संस्था, जयपुर द्वारा देहदान, नेत्रदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उक्त रैली में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सम्बोधित किया गया।
4. **11 दिसम्बर 2011** को राजस्थान लेखिका संस्थान, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ''औरत के नये चेहरे का दूसरा रूख'' पर नासिरा शर्मा का व्याख्यान आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सहभागिता की गई।
5. **12 दिसम्बर, 2011** को राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित Human Rights in 21st Century: Challenges and Prospect के समापन समारोह की गेस्ट ऑफ ऑनर डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग को दिया गया।
6. **14 दिसम्बर, 2011** दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम के पैनल (जूरी) की सदस्यता डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग को की गई।
7. **17 दिसम्बर, 2011** को राजस्थान विश्वविद्यालय महिला एसोशिएशन तथा प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ''महिलाओं में विधिक जागरूकता'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सहभागिता की गई।
8. **22 दिसम्बर, 2011** को पॉपुलर एजुकेशन एण्ड एक्शन सेन्टर (पीस) कटवारिया सराय, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में दृष्टिकोण निमार्ण हेतु ट्रेनिंग, हैण्डबुक तथा संदर्भ विमोचन किया गया।
9. **28 दिसम्बर, 2011** को विकल्प संस्था, राजसमन्द द्वारा 'घरेलू हिंसा के विरूद्व अभियान' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सहभागिता की गई।
10. **7 जनवरी, 2012** को राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जयपुर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के जयपुर

पधारने पर माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा उनकी अगवानी की गई।

11. **09 जनवरी, 2012** को राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जयपुर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत के जयपुर पधारने पर माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा शिष्टाचार भेट की गई।
12. **22 जनवरी, 2012** को कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति, गोविन्दगढ (जयपुर) द्वारा 'कन्या भ्रूण हत्या के कारण घटता लिंगानुपात' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रो. लाडकुमारी जैन माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।
13. **30 जनवरी, 2012** को लॉयर्स कलेक्टी वूमेन्स राईट्स इनेशिऐटीव, नई दिल्ली द्वारा आयोजित घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण बिल–2005 पर जारी प्रतिवेदन कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा भाग लिया गया।
14. **31 जनवरी, 2012** को मा. अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग द्वारा श्रीमती ममता शर्मा, माननीय अध्यक्ष व श्रीमती चारूवली खन्ना, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चर्चा की गई।
15. **7 फरवरी, 2012** को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के संचालन करनेवाले महिला संगठनों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सम्बोधित किया गया।
16. **9 फरवरी, 2012** को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय महिला एसोसिऐशन तथा ईन्डों जरमन सोसायटी द्वारा भारत तथा ईजराइल के महिला संगठनों के साथ विचार–विर्मश किया डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सम्बोधित किया गया।
17. **11 फरवरी, 2012** को सामाजिक तथा विधिक मुद्दों पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला अध्ययन केन्द्र जे.एन.वी. महाविद्यालय, जोधपुर में व्याख्यान का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सम्बोधित किया गया।
18. **22 फरवरी, 2012** को नेशनल लॉ स्कूल आफॅ इण्डिया, बैगलौर द्वारा Child Rights in India and role of Human Rights Institutions An Inter-Commissions Dialogue का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा संबोधित किया गया।
19. **24 फरवरी, 2012** को योजना भवन, जयपुर में Counting the Girl Child Project विषय पर आई.आई.एच.एम.आर. जयपुर द्वारा कार्यशाला का आयोजन

किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा संबोधित किया गया।

20. **21 मार्च, 2012** को हंगर प्रोजेक्ट, जयपुर द्वारा Role of Media Workers पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा संबोधित किया गया।
21. **30 मार्च, 2012** को प्रयास संस्थान द्वारा कन्या भ्रूण हत्या तथा निशुल्क दवा योजना पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा संबोधित किया गया।
22. **31 मार्च, 2012** को दिगम्बर जैन महिला मण्डल, जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा जयपुर में महिला अधिकार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में डॉ. लाडकुमारी जैन, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा संबोधित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, राज्य महिला आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में किये गये दौरो (visits) का विवरण

1. 28 दिसम्बर, 2011 को जिला परिषद कार्यालय, राजसमन्द में जिला कलक्टर, पुलिस अधिक्षक, मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ महिला मुद्दों पर चर्चा करने हेतु माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
2. 29 दिसम्बर, 2011 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, चित्तौडगढ में जिला कलक्टर, पुलिस अधिक्षक, मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ महिला मुद्दों पर चर्चा करने हेतु माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
3. 12 जनवरी, 2012 को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, हनुमानगढ में महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श करने हेतु माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
4. 1 मार्च, 2012 को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, भीलवाडा में महिला अधिकार व सशक्तिकरण विषय पर माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
5. 2 मार्च, 2012 को चिल्ड्रन एजूकेशन सोसायटी, प्रतापगढ द्वारा प्रतापगढ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा की गई।
6. 2 मार्च, 2012 को जिला कलक्ट्रेट, प्रतापगढ में जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग के सहयोग से जनसुवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

7. 3 मार्च, 2012 बांसवाडा जिलें में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने हेतु भ्रमण (विजिट) किया गया।
8. 26–27 मार्च, 2012 महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, महिला थाना सुखेर, हाथीपोल, प्रतापनगर तथा महिला डेस्क का आकस्मिक निरीक्षण अध्यक्ष महोदया द्वारा किया गया।
9. 28 मार्च, 2012 जिला कलक्टर, अजमेर में जिला अधिकारियों द्वारा महिला मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया गया।

अध्याय–7 प्रसंज्ञान एवं जांच

आयोग में सीधे आने वाले केसेज़ के अलावा मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक) द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मामलों में भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(अवधि नवम्बर, 2011 से मार्च 2012)

क्र.स.	मह	शीर्षक	जिला
1.	06.01.2012	''तबीयत बिगडी फ़िर भी नहीं किया आई.सी.यू. में शिफ्ट''	जयपुर
2.	10.01.2012	''पिता ने 5 माह की बेटी को बालकनी से फ़ेका''	सिरोही
3.	10.01.2012	''नाबालिग से गैंगरेप, सी.आई.डी–सीबी को सौंपी तफ़्तीश''	अलवर
4.	23.01.2012	''जीजा ने दोस्त के साथ मिल कर लूटी अस्मत''	जयपुर
5.	23.01.2012	''दहेज के आरोपियों की गिरफ़्तारी की मांग''	जयपुर
6.	24.01.2012	''अस्मत लूटनेवाले झोलाछाप चिकित्सक को जेल''	भरतपुर
7.	24.01.2012	''महिला अधिकारी से अश्लील बातें''	झालावाड
8.	25.01.2012	''दुष्कर्म के बाद हत्या''	कोटा
9.	02.02.2012	''महिला कॉन्स्टेबल का किया 10 माह देह शोषण''	भीलवाडा
10.	03.02.2012	''शहर की सड़कों पर दो साल में मिली 46 बेटियां''	जयपुर
11.	08.02.2012	''पूर्व ज़िला प्रमुख पर यौन उत्पीडन का आरोप''	डुंगरपुर
12.	22.03.2012	आदिवासी महिला के निर्वस्त्र करवाने का मामला	बांसवाडा

आयोग द्वारा सत्र 2011–12 में दो प्रकरणों में जांच समितियां गठित की गई, जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

1. दिनांक 14.12.2011 को आयोग को बारां जिले के तीन अभिभावकों की लिखित शिकायत प्राप्त हुई कि उनकी पुत्रियों सुश्री ईशा कलवार, सुश्री गार्गी दुबे एवं सुश्री अक्षिता सोनी ने सामूहिक रूप से आत्महत्या नही की थी, बल्कि उनकी षडयन्त्रपूर्वक हत्या की गई थी। आयोग ने उक्त प्रकरण की जाचं एक तीन सदस्यीय समिति, जिसके संयोजक श्री राधाकान्त सक्सेना, सेवानिवृत आई.जी. (जेल) थे तथा सदस्य श्री वीरेन्द्र गोदिका (भूतपूर्व अध्यक्ष, जयपुर बार एसोसिएशन), एवं सुश्री कोमल श्रीवास्तव (बी. जी.बी.एस., जयपुर) से करवाई। उक्त समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में निम्नलिखित निष्कर्ष दिये :–

    - यह मामला आत्महत्या का न होकर तीन छात्राओं को सामूहिक रूप से विषपान कराने/हत्या का लगता है ।
    - तीनों बच्चियों द्वारा हस्ताक्षरित सुसाईट नोट भी संदेहास्पद है।
    - बच्चियों को उपचार के लिए प्राईवेट राधाकृष्ण मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मेडिको लीगल केस होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को तुरन्त न बुलाया जाना जांच का विषय है।
    - एक बालिका दो घण्टे तक जीवित थी, उसके बयान न लिया जाना संदेहास्पद है।
    - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी स्पष्ट नही है। बच्चियों के प्राईवेट पार्ट्स/बच्चेदानियों की जांच नही किया जाना तथा उनके नमूने एफ.एस.एल. को न भेजना भी संदेह उत्पन्न करता है।

- कुछ लड़के उन्हें परेशान करते रहे, उनसे विस्तृत पूछताछ की आवश्कता है।
- जांच के दौरान बच्चियों के यौन–शोषण की आंशका भी व्यक्त की गई।

आयोग ने स्वयं भी बारां जाकर प्रकरण की छानबीन की तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करवाई जानी चाहिये। आयोग ने अपनी राय माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अपने अ.शा. पत्रांक 5024, दिनांक 18.04.2012 के द्वारा प्रेषित की है।

2. द्वितीय प्रकरण में बांसवाडा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के नाथपुरा गांव में पति की जान बचाने के लिए एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र होने को मजबूर करने बाबत् दिनांक 22.03.2012 को प्रकाशित समाचार को आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया तथा उसकी जांच आयोग के माननीय सदस्यगण श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया तथा श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी तथा श्रीमती शीला चौधरी, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाडा द्वारा करवाई गई।

समिति के सदस्यों ने दिनांक 24.03.2012 को बांसवाडा, कुशलगढ एवं ग्राम नाथपुरा जाकर विभिन्न पक्षों से बात गई एवं बयान लिये।

बांसवाडा प्रशासन ने समिति को बताया कि प्रार्थीगण ने इस घटना के पश्चात किसी भी स्तर पर प्रशासन को सूचित नही किया। न्यायालय के माध्यम से 22.03.2012 को इस्तागासा मिलने के तुरन्त पश्चात कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को भां.द.स. की जिन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, उन धाराओं में अपराध जमानत योग्य होने से आरोपीगणों व विभिन्न पक्षकारों से पूछताछ करने पर यह तथ्य

सामने आया कि घटना के वक्त प्रार्थी प्रेमचंद एवं अपराधीगण शराब के नशे में थे।

समिति द्वारा गहन जांच करने पर यह पाया गया कि घटना में सत्यता थी तथा घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो पीड़िता की बहन है, के बयान को न मानने का कोई आधार नहीं था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यद्यपि तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथापि मामला चूंकि गंभीर प्रकृति का है, अतः आयोग को इसकी निगरानी करनी चाहियें।

दिनांक 31.03.2012 को कुशलगढ़ पुलिस द्वारा ए.सी.जे.एम., न्यायालय, कुशलगढ़ में तीनों आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश कर दिया गया है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

सन् 2011–12 में पीड़ित महिलाओं को आश्रयगृह (शक्ति स्तम्भ) भेजे गये प्रकरण

क्र.स.	नाम व पता	प्रवेश तिथि	डिस्जार्च तिथि	समस्या
1.	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री लोकेश शर्मा, म.न. 343, रामनगर, सोडाला, जयपुर	26.04.2011	03.05.2011	पति व बच्चों द्वारा प्रताड़ित
2.	कुमारी नेहा कुमावत पुत्री श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम काकरोदा, तहसील फुलेरा, जयपुर	26.03.2012	11.04.2012	चाचा द्वारा यौन शोषण

अध्याय–8 राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंषाएं

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंषाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण हेतु नीति निर्धारण एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु अनुशंषाए

क्र.	अनुशंषा का संक्षिप्त विवरण	किसकों भेजी गई	पंत्राक दिनांक
1.	राजस्थान राज्य महिला आयोग में माननीय सदस्यों की नियुक्ति हेतु	माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार	2832 02.12.2011
2.	विधि पाठ्यक्रम में जैण्डर एण्ड लॉ का प्रश्न पत्र सम्मलित करने हेतु	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	3180 22.12.2011
3.	आर्मी स्कूलों में कामकाजी महिलाओं के साथस यौन–उत्पीडन की घटनाओं को रोकने हेतु प्रचलित नियमों में संशोधन करने हेतु	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार माननीय राष्टपति, भारत, नई दिल्ली	3183 23.12.2011
4.	अनुदानित महाविद्यालयों की महिला व्याख्यताओ के पदस्थापन में भेदभाव दूर करने हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	3179 23.12.2011
5.	कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ यौन–उत्पीडन घटनाओं को रोकने हेतु माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा पारित विशाखा गाईड लाइन की क्रियान्विति बाबत्	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	3333 04.01.2012
6.	थानो में स्थापित महिला डेस्क की कार्यप्रणाली में सुधार बाबत्	महानिदेशक (पुलिस), जयपुर।	3917 25.01.2012
7.	विधवा महिलाओं के कल्याण एवं उनके पुनर्वास हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	4239 10.02.2012
8.	सामाचार पत्रों में महिलाओं के अमर्यादित चित्रण को रोकने हेतु	अध्यक्ष, प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली	4238 10.02.2012
9.	राज्य आबकारी नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	4243 10.02.2012
10	जिला महिला सहायता समिति की बैठक	प्रमुख शासन सचिव, महिला	4370

	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में करवायें जाने बाबत्	अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार	15.02.2012
11.	विधवा महिलाओं से संबंधित मुद्दों (विधवा पेंशन व राजकीय नौकरी) में संशोधन बाबत्	माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	5471 2603.2012
12	राजस्थान विश्विद्यालय में महिला सुरक्षा की व्यवस्था बाबत्।	उप कुलपति, राजस्थान विश्विद्यालय, जयपुर	5480 26.03.2012

वर्ष 2011–2012

क्र.सं	दिनांक	विषय
1	21.12.2011	महिला संगठनों के साथ महिला मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन आयोग के सभागार कक्ष में किया गया।
2	24.01.2012	श्रीमती हमीदा सईद, माननीय सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली की माननीय सदस्या के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन आयोग कार्यालय में एक बैठक का आयोजन।
3	25.01.2012	प्लानिंग बोर्ड, राजस्थान सरकार के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन।
4	27.01.2012	पुलिस थानों में स्थापित महिला डेस्क मूंल्याकंन हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।
5	02.02.2012	सुप्रसिद्ध महिलावादी लेखिका श्रीमती कमला भसीन के साथ महिला मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु बैठक का आयोजन।
6	23.02.2012	कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न रोकने हेतु बैठक का आयोजन।
7	13.03.2012	राजस्थान में महिलाओ की वर्तमान स्थिति तथा उनके सशक्तिकरण हेतु रणनीति बनाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वयं सेवी संगठनो के साथ विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
8	16.03.2012	प्रयास, स्वयं सेवी संगठन, मुम्बई के साथ महिला केदियो के पुर्नवास तथा उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन हुआ।
9	27.03.2012	जाति पंचायतो द्वारा विवाह आयोजन में गैरकानूनी तरीके से हस्तक्षेप को रोकने हेतु बिल का प्रारूप तैयार करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।